न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 264/2008
निर्णय दिनांक : 20.06.2023

उनवान

1. नानगराम पुत्र लादूराम
2. गोपाल लाल पुत्र लादूराम
3. लल्लूराम पुत्र रामपाल (मृतक)
1. जानकी देवी पत्नी लल्लूराम
2. नानगी देवी पुत्री लल्लूराम
3. ओमप्रकाश पुत्र लल्लूराम
4. सत्यनारायण पुत्र लल्लूराम

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम आसावाला उर्फ यशोदानन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

4. मदन लाल पुत्र रामपाल (मृतक)
1. श्रीमति किशोरी बेवा मदन लाल
2. भगवान सहाय पुत्र मदनलाल (मृतक)
1. संतोष शर्मा पत्नी भगवान सहाय
2. अभिषेक पुत्र भगवान सहाय
3. जयश्री शर्मा पुत्री भगवान सहाय
3. कालूराम पुत्र मदन लाल
4. सीताराम पुत्र मदन लाल
5. ग्यारसी लाल पुत्र रामपाल

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम आसावाला उर्फ यशोदानन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. मदन लाल पुत्र मथूरा लाल, जाति महाजन, निवासी ग्राम आसावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. उप पजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
दावा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण [illegible] रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा जो पूर्व में मथूरालाल, गोपीचन्द [illegible] राजस्व रिकार्ड में अंकित थी पर कदीमी काश्तकार है एवं उपरोक्त भूमि खातेदार इन्द्राज मथूरालाल [illegible] गोपीचन्द की जानकारी में सदैव से काबिज चले आ रहे है। यह कि इस भूमि के पर्चा वादीगण के नाम दर्ज कर जारी करने हेतु सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी न्यायालय सांगानेर मुख्यालय जयपुर को भी एक प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर तत्कालीन सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने सभी पक्षकारान के बयान लेकर मिसल संख्या

उप खण्ड अधिकारी

83/1973 रज्जू दिनांक 31.01.1973 फैसला दिनांक 02.02.1973 में निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिया था कि हस्ब रजामन्दी कब्जा काश्त के अनुसार राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1956 की धारा 125 के अन्तर्गत हाल आराजी खसरा नम्बर 358 रकबा 82 एयर जो मथूरालाल एवं गोपीचन्द पुत्र भूरामल जाति महाजन के नाम अंकित है का नाम खारिज होकर लादूराम, रामपाल पिसरान भैरूराम जाति बागड़ा ब्राह्मण साकिन देह का नाम दर्ज रिकॉर्ड होकर पर्चा जारी हो। उक्त आदेश दिनांक 02.02.1973 में गोपीचन्द एवं मथूरालाल ने हल्फिया बयान देकर ये निवेदन किया था कि भूमि वादीगण को सम्भला दी है अतः पर्चा उनके नाम बना दिया जावें। कब्जा भी भूमि पर 2 वर्ष से लादू व रामपाल का ही है। इस तरह वादीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 02.02.1971 से है जो मुखालफाना कब्जे की तारीफ में आता है एवं मुखालफाना के कब्जे के आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण का कब्जा एवं टाईटल वास्तविक खातेदारों की जानकारी के अनुसार दिनांक 02.02.1971 से है एवं इसकी ताईद न्यायालय सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी की मिसल संख्या 83/1973 रज्जू दिनांक 31.01.1973 एवं फैसला दिनांक 02.02.1973 से सम्पुष्ट होती है। वादीगण वास्तविक खातेदार की जानकारी के आधार पर अधिकार रखते है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के मुस्तहक है एवं इन्द्राज दुरूस्ती के भी हकदार है। दिनांक 13.07.2008 को प्रतिवादी मदन लाल जो अप्रार्थी मथूरालाल व गोपीचन्द पिसरान भूरामल जाति महाजन के एकमात्र वारिस है क्योंकि मथूरा लाल लाऔलाद फौत हो चुके है एवं गोपीचन्द के एकमात्र सन्तान मदनलाल ही है को जब भूमि का इन्द्राज कराने हेतु आसावाला उर्फ यशोदानन्दनपुरा गांव जाकर अनुरोध किया तो वो साफ इन्कार हो गये। अतः वादकारण दिनांक 13.07.2008 को उत्पन्न होकर बरकरार है। उपरोक्त भूमि का अंकन दौरान भू-प्रबन्धक न्यायालय सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी दिनांक 02.02.1973 के अन्तर्गत भी दुरूस्त होकर प्रतिवादीगण के पूर्वज गोपीचन्द व मथूरालाल का नाम हटाया जाकर वादीगण के पूर्वजों लादूराम व रामपाल के नाम अंकित किया जाना था जो नही किया गया। अतः अब वादीगण का नाम दर्ज किये जाने हेतु एवं प्रतिवादी का नाम हटाये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र के पैरा नम्बर 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर पुराना 357 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा गत खसरा नम्बर 58 रकबा 82 एयर वर्तमान खसरा नम्बर 600 रकबा 0.3500, खसरा नम्बर 601 रकबा 0.4400 भूमि का अंकन करते हुए प्रार्थीगण को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण के मुखालफाना कब्जे के आधार पर दिनांक 02.02.1971 से आई भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी और मदाखलत करने से प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने हेतु उक्त वाद सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण को खसरा नम्बर 58 रकबा 82 एयर जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 600 रकबा 0.3500 चाही 1, खसरा नम्बर 601 रकबा 0.4400 चाही 1.2000 एवं जोड़ 1.8 1400 है। सिचांई का साधन खसरा नम्बर 580 है का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दर्ज किये जाने की डिक्री पारित फरमाई जावे। प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित फरमाई जावे कि वादीगण के हिस्से में आयी भूमि पर किसी प्रकार की दखलअन्दाजी या हस्तक्षेप, बेचान, रहन, पंजीयन तस्दीकीकरण की कार्यवाही न स्वयं करें व न किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को दिनांक 21.09.2008 को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 25.03.2009 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री प्रेमकुमार मीणा एडवोकेट ने अण्डरटेंकिग दी। दिनांक 02.06.2009 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2023.08.25
Reason: SelfAttest

उप खण्ड अधिकारी

श्री चन्द्रभान मीणा एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 10.03.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर जवाब दावा एव काउण्टर क्लेम इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 357 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा के पूर्व मे खातेदार मिन प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी मथूरालाल, गोपीचन्द थे और वही काबिज काश्त थे एव वर्तमान मे खातेदारी इन्द्राज मिन प्रतिवादी के नाम दर्ज है एवं मिन प्रतिवादी ही भूमि वादग्रस्त पर काबिज काश्त है। मिसल संख्या 83 / 1973 रजू दिनांक 31.01.1973 फैसला दिनांक 02.02.1973 के बाबत् ना तो मिन प्रतिवादी को कोई जानकारी है ना ही मिन प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारी मथूरालाल एवं गोपीचन्द ने इस बाबत कोई बयान दिये यदि वादीगण ने सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी से मिलिभगत कर ऐसा कोई निर्णय पारित भी करवा लिया है तो वह मिन प्रतिवादी के हक व अधिकारों के मुकाबले शुन्य है। मिन प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारियों ने इस तरह के कोई बयान कभी भी सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के यहां उपस्थित होकर नही दिये क्योंकि भूमि वादग्रस्त पर वादीगण का कब्जा काश्त था ही नही तो मिन प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारी इस तरह के बयान क्यों देते एव वादीगण के हक मे सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी का ऐसा कोई निर्णय होता तो उन्होनें सन् 1973 से लेकर सन् 2008 यानि 35 साल तक उसकी पालना क्यों नही करवाई। मिन प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारी मथूरालाल, गोपीचन्द महाजन उस समय अपनी खातेदारी भूमियों को बांटे पर दिया करते थे एवं इसी प्रकार वादीगण के हकपूर्वाधिकारी लादूराम व रामपाल को मिन प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारियों ने अपनी खातेदारी भूमियों पर बांटे पर बोने खाने के लिए बता रखी थी एवं इसी का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण के हकपूर्वाधिकारियों ने न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी से मिलिभगत कर जो निर्णय पारित करवाया है वह मिन प्रतिवादी के हक व अधिकारों के मुकाबले प्रभावशुन्य है। वादीगण मिन प्रतिवादी के पास आसावाला उर्फ यशोदानन्दनपुरा दिनाक 13.07.2008 को कभी नही गये, वादीगण ने उक्त दिनांक की बात सिर्फ वादकारण लेने के लिए अंकित की है। वादीगण द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के तहत 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक था जो वादीगण द्वारा नही दिया गया है ना ही धारा 80 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण मान्य न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नही आये है एक तरफ तो वादीगण माननीय न्यायालय से मुखालपाना के आधार पर रिलीफ प्राप्त करना चाहते है और दुसरी तरफ वादीगण सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 02.02.1973 की पालना में वाद पत्र के जरिये करवाना चाहते है इसलिए वादीगण का वाद क्लीन हैण्ड से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। मिन प्रतिवादी की खातेदारी एवं कब्जेकाशत की भूमि खसरा नम्बर 600 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 601 रकबा 0.4400 हैक्टेयर ग्राम आसावाला उर्फ यशोदानन्दनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। मिन प्रतिवादी अपनी खातेदारी भूमि पर बजमाने बुजुर्गान निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है, मौके पर काबिज है एवं लगान राज्य सरकार को अदा करता चला आ रहा है। वादीगण का [illegible] सम्बन्ध व सरोकार नही है। वादीगण की अन्य [illegible] भूमि [illegible]स्त के समीप लगती हुई है जिनकी आड में वादीगण मिन प्रतिवादी [illegible] कब्जा करने पर आमदा है। उक्त परिस्थितियों में मिन प्रतिवादी [illegible]उण्टर क्लेम पेश करना आवश्यक हुआ है एवं मिन प्रतिवादी अधिकारी है कि व[illegible]ादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवायें कि वादीगण मिन प्रतिवादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे, जबरन बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की कोशिश न करे तथा उक्त

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Kabra
Date: 2023.08.25 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

समस्त कार्यवाही वादीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से करावें। अतः मिन प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादीगण डिक्री फरमाया जावें कि वादीगण काउण्टर क्लेम की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि वादग्रस्त मिन प्रतिवादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे, जबरन बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की कोशिश न करे तथा उक्त समस्त कार्यवाही वादीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से करावे। दिनांक 21.06.2010 को वादीगण की ओर वादी संख्या 4 का कायम मुकामान प्रार्थना पत्र एवं जवाब उत्तर जवाब व काउण्टर क्लेम का जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है किन्तु वादीगण के पास 35 वर्ष से एडवर्स पजेशन है और कब्जे काश्त है। अतः इस आधार पर वादग्रस्त भूमि का स्वामी प्रतिवादी संख्या 1 न होकर वादीगण है। अतः वादीगण ने घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती के लिए वाद प्रस्तुत किया है जिसके वे हकदार है। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर पिछले 35 साल से कब्जेकाश्त है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे और प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम खारिज फरमाया जावें। उक्त प्रकरण में वादी संख्या 3 व वादी संख्या 4 और वादी संख्या 4/2 की मृत्यु दौराने वाद होने से उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। दोनों पक्षों के अभिवचन के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किये गये:—

1. आया वादीगण को खसरा नम्बर 58 रकबा 82 एयर जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 600 रकबा 0.3500 चाही 1, खसरा नम्बर 601 रकबा 0.4400 चाही 1 0.3000 एवं जाव 1 0.1400 है। सिचांई का साधन खसरा नम्बर 580 है की घोषणा खातेदारी दिया जाना उचित है।

...बजिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के अधिकारी है।

...बजिम्मे वादीगण

3. आया वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादीगण पूर्वजों द्वारा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पर मथूरालाल व गोपीचन्द जो प्रतिवादीगण के पूर्वज है के बयानात इत्यादि लिये जाकर जो आदेश दिनांक 02.02.1973 को पारित किया था उसमें स्वीकारोक्ति है वों प्रतिवादीगण के विरूद्ध होने से वादीगण अनुतोष पाने के अधिकारी है।

...बजिम्मे वादीगण

4. आया वादीगण कब्जा मुखालपाना के आधार पर एवं भू प्रबन्ध न्यायालय सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 02.02.1973 के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

...बजिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

5. आया काउण्टर क्लेमेण्ट वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

...बजिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

6. यह कि वादीगण वाद धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

...बजिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

7. अनुतोष

वाद-बिन्दू कायम होने के पश्चात् वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल फैसला श्रीमान सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर दिनांक 02.02.1973 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Kabra
Date: 2023.08.25 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी संवत् 2062-62 ग्राम आसावाला तहसील सांगानेर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी संवत् 2023 प्रदर्श 3, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2028-2031, सम्वत् 2032-2035 प्रदर्श 4 व प्रदर्श 5, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम आसावाला, तहसील सांगानेर प्रदर्श 6 है। मौखिक साक्ष्य में पी. डब्ल्यू. 1 वादी नानगराम पुत्र लादूराम, पी.डब्ल्यू. 2 गोपाल पुत्र लादूराम व पी.डब्ल्यू. 3 बाबूलाल शर्मा पुत्र भौरीलाल के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिनके बयान लेखबद्ध किये गये।प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी मदनलाल पुत्र मथूरालाल व गवाह धन्नालाल पुत्र लालाराम के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें से केवल प्रतिवादी मदनलाल पुत्र मथूरालाल जिरह हेतु उपस्थित हुआ। गवाह धन्नालाल पुत्र लालाराम जिरह हेतु उपस्थित नही होने से उसका शपथ पत्र साक्ष्य में ग्राह्य नही है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सूनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं बयान गवाहान को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारिज फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाब दावें, काउण्टर क्लेम एवं बयान गवाहान को दोहराते हुए निवेदन किया कि मिन प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम डिक्री किया जावें और वादीगण का वाद खारिज किया जावें। हमने बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन से पाया कि वाद पत्र एवं काउण्टर क्लेम का निस्तारण वाद में विरचित तनकीयात अनुसार किया जाना आवश्यक है।

तनकी संख्या एक व तीन एक दूसरे सम्बन्धित है इसलिए दोनों तनकीयात का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है:- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है, इस सम्बन्ध में वादीगण का कहना है कि खसरा नम्बर 357 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा जो पूर्व में मथूरालाल, गोपीचन्द के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित थी पर कदीमी काश्तकार है एवं उपरोक्त भूमि खातेदार इन्द्राज मथूरालाल, गोपीचन्द की जानकारी में सदैव से काबिज चले आ रहे है। यह कि इस भूमि के पर्चा वादीगण के नाम दर्ज कर जारी करने हेतु सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी न्यायालय सांगानेर मुख्यालय जयपुर को भी एक प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर तत्कालीन सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी ने सभी पक्षकारान के बयान लेकर मिसल संख्या 83/1973 रजू दिनांक 31.01.1973 फैसला दिनांक 02.02.1973 प्रदर्श-1 है में निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिया था कि हस्ब रजामन्दी कब्जा काश्त के अनुसार राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 125 के अन्तर्गत हाल आराजी खसरा नम्बर 358 रकबा 82 एयर जो मथूरालाल एवं गोपीचन्द पुत्र भूरामल जाति महाजन के नाम अंकित है का नाम खारिज होकर लादूराम, रामपाल पिसरान भैरूराम जाति बागडा ब्राह्मण साकिन देह का नाम दर्ज रिकॉर्ड होकर पर्चा जारी हो। उक्त आदेश दिनांक 02.02.1973 में गोपीचन्द एवं मथूरालाल ने हाजिर होकर बयान देकर ये निवेदन किया था कि भूमि वादीगण को संभला दी है अतः पर्चा उनके नाम बना दिया जावें। कब्जा भी भूमि पर 2 वर्ष से लादू व रामपाल का है। इस तरह वादीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 02.02.1971 से है जो मुखालफाना कब्जे की तारीफ में आता है एवं मुखालफाना के कब्जे के आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।इस सन्दर्भ में प्रतिवादी संख्या 1 का कहना है कि वादीगण एक तरफ तो माननीय न्यायालय से मुखालपाना के आधार पर रिलीफ प्राप्त करना चाहते है और दुसरी तरफ वादीगण सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 02.02.1973 की पालना में वाद पत्र के जरिये करवाना चाहते है इसलिए वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण की ओर साक्ष्य के दौरान

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2023.08.25 1
Reason: SelfAttest

नानगराम पुत्र लादूराम पी.डब्ल्यू. 1 ने बयानों में कहा कि हमने कोर्ट में दावा सन 1973 में दावा किया था फिर कहा कि सन 1971 में किया था, इस जमीन के चारों ओर हमारे भाई बन्धों की जमीन है इसलिए दावा किया है। गवाह नानगराम ने स्वयं ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि को हमने नही खरीदी है और वादग्रस्त भूमि पर मदन लाल का गलती से आया है, वादग्रस्त भूमि पर हमारा कब्जा है इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही गई जिससे वादीगण का कब्जा साबित होता हो।गवाह गोपाल पुत्र लादूराम पी.डब्ल्यू. 2 ने भी अपने बयानों में इस जमीन के चारों ओर हमारे भाई बन्धों की जमीन है, उक्त वादग्रस्त भूमि को हमने नही खरीदी है एवं वादग्रस्त भूमि पर हमारा कब्जा है तथा आज की तारीख खाता मदन लाल के नाम ही है। गवाह बाबूलाल पुत्र भौरीलाल पी.डब्ल्यू. 3 ने अपने बयानों में कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि नानगराम, गोपाल, मदनलाल की है, नानगराम व गोपाल जी ने मुझे बताया कि उक्त जमीन का मुकदमा चल रहा है, आज मुझे नानगराम जी व गोपाल जी कोर्ट में बयान दिलवाने के लिए लाये है, यह बयान नानगराम जी व गोपाल जी कहने पर दे रहा हूँ, गवाह बाबूलाल ने यह स्वीकार किया है कि सैटलमेन्ट में मौके पर कोई कार्यवाही हुई तो जानकारी नही होना बताया है और पहले लादूराम जी को फिर के बांटो को बाते खाते देखा है। इस सन्दर्भ में प्रतिवादी संख्या 1 का तर्क रहा है कि वादीगण द्वारा कब्जे से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जबकि प्रदर्श--4 एवं प्रदर्श–5 वादीगण द्वारा स्वयं द्वारा सम्वत् 2028 से 2035 की खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी द्वारा काश्त करना अंकित है जबकि वादीगण ने सन् 1971 अर्थात् सम्वत् 2028 में अपना कब्जा होना बताया है परन्तु खसरा गिरदावरी से वादीगण का कब्जा प्रमाणित होना साबित नही है। वादीगण द्वारा स्वयं के द्वारा प्रदर्श 3 जमाबन्दी सम्वत् 2023 प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 हकपूर्वाधिकारी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, इस प्रकार वादीगण स्वयं के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वादीगण के वाद के विरोधाभासी है और वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, ना ही ऐसा कोई मौखिक साक्ष्य से साबित किया है जिससे वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हो। अतः साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरा मत है कि वादीगण तनकी संख्या एक एवं तीन अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या एक व तीन वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या दोः– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। चूंकि वादीगण तनकी संख्या एक व तीन को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है लिहाजा वादीगण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में चाही गई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या चारः–इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 का कहना है कि आराजी खसरा नम्बर 35[illegible] 3 बीघा 3 बिस्वा के पूर्व में खातेदार मिन प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी मथूरालाल, [illegible] थे और वही काबिज काश्त थे एवं वर्तमान में खातेदारी इन्द्राज मिन प्रतिवादी के [illegible] दर्ज है एवं मिन प्रतिवादी ही भूमि वादग्रस्त पर काबिज काश्त है। मिसल संख्या 83/1973 रजू दिनांक 31.01.1973 फैसला दिनांक 02.02.1973 के बाबत् ना तो मिन प्रतिवादी को कोई जानकारी है ना ही मिन प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारी मथूरालाल एवं गोपीचन्द ने इस बाबत् कोई बयान दिये यदि वादीगण ने सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी से मिलिभगत कर ऐसा कोई निर्णय पारित भी करवा लिया है तो वह मिन प्रतिवादी के हक व अधिकारों के मुकाबले शुन्य है। मिन प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारियों ने इस तरह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta [illegible]
Date: 2023.08.25 13:59:[illegible]
Reason: SelfAttested

के कोई बयान कभी भी सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के यहा उपस्थित होकर नही दिये क्योंकि भूमि वादग्रस्त पर वादीगण का कब्जा काश्त था ही नही तो मिन प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारी इस तरह के बयान क्यो देते एवं वादीगण के हक में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का ऐसा कोई निर्णय होता तो उन्होंने सन् 1973 से लेकर सन् 2008 यानि 35 साल तक उसकी पालना क्यों नही करवाई। मिन प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारी मथुरालाल, गोपीचन्द महाजन उस समय अपनी खातेदारी भूमियों को बांटे पर दिया करते थे एवं इसी प्रकार वादीगण के हकपूर्वाधिकारी लादूराम व रामपाल को मिन प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारियों ने अपनी खातेदारी भूमियों पर बांटे पर बोने खाने के लिए बता रखी थी एवं इसी का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण के हकपूर्वाधिकारियों ने न्यायालय सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी से मिलिभगत कर जो निर्णय पारित करवाया है वह मिन प्रतिवादी के हक व अधिकारों के मुकाबले प्रभावशुन्य है। राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है किन्तु वादीगण के पास 35 वर्ष से एडवर्स पजेशन है और कब्जे काश्त है, ऐसी स्थिति में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है इस सन्दर्भ में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से निम्न कानूनी दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये 2015(2) आर.आर.टी. 978, 2014 15(Supp.) आर.आर.टी. 541, 2014(2) आर.आर.टी. 753, 2011 आर.बी.जे. 387 (वृहतपीठ), 2009(2) आर.आर.टी. 1425, 2017 आर.आर.डी. 352, 2009(1) डब्ल्यू.एल.सी. (SC) 65 इन सभी कानूनी दृष्टान्तों में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते है।प्रतिवादी की ओर साक्ष्य के दौरान मदन लाल पुत्र मथूरालाल डी.डब्ल्यू. 1 ने बयानों में कहा कि वादग्रस्त भूमि मेरे हकपूर्वाधिकारी की है जिस पर वर्तमान में मैं स्वयं काबित काश्त हूँ इन सभी तथ्यों की पुष्टि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 2, प्रदर्श 3, प्रदर्श 4, प्रदर्श 5 एवं प्रदर्श 6 बखूबी साबित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है व वादीगण ने स्वयं ने अपने जवाब उल जवाब में स्वीकार किया है कि उनका 35 वर्षो से एडवर्स पजेशन है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 की पूर्णतया मदद करते है।अतः साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरा मत है कि प्रतिवादी संख्या 1 तनकी संख्या चार अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या चार प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या पांचः— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 तनकी संख्या चार को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है लिहाजा प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में चाही गई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तयकी जाती है।

तनकी संख्या छः— इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है। प्रतिवादी संख्या 1 का कहना है कि वादीगण द्वारा राज्य [illegible] प्रतिनिधि के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के तहत 2 माह का कानूनी [illegible] दिया जाना आवश्यक था जो वादीगण द्वारा नही दिया गया है [illegible] धारा 80 सी.पी. सी. का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए [illegible] वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में वादीगण का कहना है कि तहसीलदार को भूमिधारी होने के नाते पक्षकार बनाया गया है उनसे कोई अनुतोष नही चाहा गया है और उप पंजीयक को इसलिए पक्षकार बनाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 भूमि का दौराने वाद कोई बैचान पत्र/रहन पत्र/मुन्तकिली दस्तावेज तस्दीक न करायें। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 से अनुतोष की मांग की है, राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta K
Date: 2023.08.25 13:59:4
Reason: SelfAttested

सरकार के विरूद्ध ऐसी कोई मांग नही की है, इसलिए धारा 80 सी.पी.सी. नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नही है, ना ही पृथक से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है। अतः इस तनकी के सम्बन्ध में मेरा मत है कि उक्त तनकी कानूनी बिन्दू पर है जो लिहाजा तनकी संख्या छः वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या सातः– उपरोक्त विवेचानुसार चूंकि तनकी संख्या एक लगायत तीन वादीगण के विरूद्ध तथा तनकी संख्या चार एवं पांच प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में, तनकी संख्या छः वादीगण के पक्ष में तय की जाती है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से साबित नही होने से खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम विरूद्ध वादीगण इस आशय से डिक्री किया जाता है कि वादीगण काउण्टर क्लेम की मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 600, 601 कुल किता 2 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम आशावाला उर्फ यशोदानंदनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में मिन प्रतिवादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे, जबरन बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की कोशिश न करे तथा उक्त समस्त कार्यवाही वादीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से करावें। इसी अनुरूप प्रारम्भिक डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एकता काबरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय) (सांगानेर),
जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Kabra
Date: 2023.08.25 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested